फर्द अहकाम

प्रकरण सं0 58/2023

कालूराम ..... बनाम श्री रीना वाघ .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी अनुपस्थित। वादी / प्रार्थी भी अनुपस्थित। प्रकरण वकील वादी / प्रार्थी को शिष्टाचार से कक कक कर तीन बार आवाज लगवाई, लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी / प्रार्थी पूर्व में भी अनुपस्थित रहा। वकील वादी व वादी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।	
	अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)